

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

अनुदानित महाविद्यालयों में एम.एड. (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2020-22 में प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग कार्यक्रम

क्र.स.	दिनांक	वर्ग	कुल प्राप्तांक	समय
1.	17.12.2020	अन्य राज्य	214 तक	प्रातः 10:00 बजे
2.	17.12.2020	सामान्य वर्ग	203 तक	प्रातः 10:00 बजे
3.	17.12.2020	सामान्य वर्ग-विकलांग	147 तक	प्रातः 10:00 बजे
4.	17.12.2020	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	173 तक	दोपहर 12:00 बजे
5.	17.12.2020	अन्य पिछड़ा वर्ग	195 तक	अपराह्न 01:00 बजे
6.	17.12.2020	अन्य पिछड़ा वर्ग-विकलांग	186 तक	अपराह्न 01:00 बजे
7.	17.12.2020	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	187 तक	अपराह्न 03:00 बजे
8.	17.12.2020	अनुसूचित जाति-विकलांग	151 तक	अपराह्न 03:00 बजे

उक्त कार्यक्रम में कुल प्राप्तांकों के आधार पर अन्य राज्य, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र/छात्राओं की संयुक्त मेरिट तैयार की गयी है। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनका स्कोर उपरोक्त कार्यक्रमानुसार है, उक्त तिथि एवं समय को मेरिट स्कोर के आधार पर काउन्सलिंग हेतु बृहस्पति भवन, चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में एम.एड. पाठ्यक्रम में सीट आवंटन हेतु उपस्थित हों। समस्त वर्गों के अभ्यर्थी अपने साथ रु० 700/- का एक बैंक ड्राफ्ट (Non Refundable Counseling Fee) जो वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम देय हो तथा निम्न प्रपत्रों को मूल रूप में एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति का एक सैट लेकर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों।

- नवीनतम पासपोर्ट साईज के 5 फोटोग्राफ,
- एम.एड. प्रवेश परीक्षा 2020-22 का अंकपत्र,
- एम.एड. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र,
- समस्त शैक्षणिक अभिलेख,
- जाति-प्रमाण पत्र (कम्प्यूटराईज्ड हो तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो, तथा उसमें क्रीमिलेयर का स्पष्ट उल्लेख हों। (विवाहित महिला अभ्यर्थी की जाति प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा।)
- मूल निवास प्रमाण पत्र (कम्प्यूटराईज्ड),
- विकलांगता का प्रमाण पत्र (जैसे कि ब्रोशर में अंकित है एवं जो आप पर लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (कम्प्यूटराईज्ड) (केवल एस.सी./एस.टी. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए), तथा
- कुलसचिव, चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सम्बोधित रु० 10/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी कराकर, जिसमें निम्न बातें अंकित हों, सभी अभ्यर्थियों को साथ लेकर आना अनिवार्य है—
 - ❖ शैक्षणिक काल के दौरान यदि कोई समय अन्तराल है, तो उसका कारण।
 - ❖ वर्तमान में कहीं भी सेवारत न होने का। (सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान)
 - ❖ वर्तमान में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण में सम्मिलित न होने (जैसे डी.एल.एड., बी.एल.एड. एवं अन्य डिग्री/डिप्लोमा कोर्स आदि)
 - ❖ समान सत्र में अन्य किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न होने का।

यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर अनुपस्थित रहता है, तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा योग्यता सूची में से उससे नीचे की वरीयता क्रम वाले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा एवं भविष्य में अभ्यर्थी का उक्त तिथि की मेरिट सूचकांक का प्रवेश संबंधी कोई अधिकार मान्य नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। अभ्यर्थी केवल Total Score के अनुसार निर्धारित तिथि को ही उपस्थित हो।

काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त या महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी दशा में कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा और न ही पुनः काउंसलिंग के द्वारा अन्य महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा एवं न ही काउंसलिंग शुल्क वापस होगा।

sd/-
चैयरमेन
एम.एड. प्रवेश
सत्र 2020-22

sd/-
समन्वयक
एम.एड. प्रवेश
सत्र 2020-22